भारत सरकार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

पेंशनभोगियों के लिए आधार अंकन सप्ताह का आयोजन

(दिनांक 1 से 7 अगस्त, 2015)

पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए 'जीवन प्रमाण' नामक आधार संख्या से जुड़ी एक जीवन प्रमाणन प्रणाली आरंभ की गई है।

- बैंक, पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए **दिनांक 1 से 7 अगस्त**, **'आधार अंकन सप्ताह'** के रूप में मना रहे हैं। जो पेंशनभोगी जीवन प्रमाण सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, और जिन्होंने अपने पेंशन खाते में आधार संख्या दर्ज नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पीपीओ, आधार कार्ड और बैंक पास बुक की मूल प्रतियों एवं छायाप्रतियों के साथ अपने पेंशन वितरक बैंक से संपर्क करें।
- 'जीवन प्रमाण', जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध अन्य साधनों के अलावा है।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.jeevanpramaan.gov.in पर जाएं।

davp 32301/11/0005/1516